

न्यायालय सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्र.प/61/2016

दर्ज दिनांक:-03.06.2016

1. नाहरसिंह पता-प्रार्थी

बनाम

2. रामभरोसी पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रमोद कुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट तुहिया पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमावंदी संवत् 2071-2074 के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी उभयपक्षकरान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। आराजी के प्रार्थी के अलावा अन्य पक्षकार भी रिकार्डेड खातेदार है। अगर अभिलिखित खातेदारों को T.I. से पावंद किया जाता है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीयक्षति प्रार्थी के वनस्पत अप्रार्थीगण को अधिक होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2016 निरस्त किया जाता है। की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

